मंदीप वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(विकास बहल, जे.)

विकास बहल जे**. के समक्ष**

मंदीप वर्मा-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य-प्रतिवादी 2022 का सी. आर. एम.-एम. सं. 35150

08 अगस्त, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973-**भारतीय दंड संहिता **1862--** परक्राम्य लिखत अधिनियम**, 1881-**एस**.** एस**. 138** और **142-**याचिकाकर्ता ने कभी भी **धारा 138** एन**.** आई**.** अधिनियम के तहत शिकायत मे **सेवित नहीं हुआ-**गलत तरीके से **उधोषित व्यक्ति घोषित** और भा.द.सं. सी**.** की **धारा 174-**ए के तहत दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट-**याचिकाकर्ता शिकायत मामले में निचली अदालत के समक्ष पेश हुआ-चेक राशि और ब्याज और शिकायत की लागत का भुगतान किया**-धारा 138** एन**.** आई**.** अधिनियम के तहत शिकायत वापस ले ली गई**-प्रथम सूचना रिपोर्ट** रद्द करने योग्य-शिकायत मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी नहीं किया गया-एक आवश्यक पक्ष नहीं-याचिका की अनुमति दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अमर सिंह ने वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 138/142 N. I. अधिनियम के तहत मु. 25,000/- के चेक के अनादरण के संबंध में शिकायत दर्ज की थी और उक्त कार्यवाही में, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि वह कभी भी सेवित नहीं हुआ और 31.08.2017 (अनुलग्नक पी-3) के आदेश के माध्यम से अवैध रूप से उधोषित व्यक्ति घोषित किया गया था जिसमें एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया था और उक्त आदेश के अनुसरण में, वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई है।दिनांक 16.03.2020 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही में निचली अदालत के समक्ष पेश हुआ और अनुरोध किया कि शिकायतकर्ता को पैसे प्राप्त करने का निर्देश दिया जाए और उसके बाद 17.03.2020 पर शिकायतकर्ता पेश हुआ और बयान दिया कि उसे चेक राशि के साथ-साथ ब्याज और लागत राशि भी मिली है और वह धारा 138 N.I.Act के तहत कार्यवाही वापस ली जाती है तो भा.दं.सं. सी. की धारा 174-ए के तहत वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट भी रद्द की जानी चाहिए।

(पैरा 9)

आगे आयोजित किया गया कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका की अनुमति है और प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर

86 दिनांक 14.03.2020, पुलिस स्टेशन मधुबन करनाल, हरियाणा में भारतीय दंड संहिता सी की धारा 174 एक के तहत दर्ज और उससे उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्रवाई को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभनीत हंस।

प्रवीण भादु, ए. एएजी, पंजाब।

विकास बहल, जे. **(ORAL)**

(1) यह खंड 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका है जो प्रथम सुचना रिपोर्ट नं. 86 दिनांक 14.3 2020 हरियाणा के मधुबन करनाल पुलिस स्टेशन में भा.दं.सं. सी. की धारा 174-ए के तहत दर्ज और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द करने के लिए है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, अमर सिंह द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता और एक अन्य सह-अभियुक्त के खिलाफ मु. 25,000/- की चेक राशि का अनादरण करने के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में "एन. आइ. अधिनियम) की धारा 138 के तहत एक शिकायत दायर की गई थी और उक्त कार्यवाही में, याचिकाकर्ता को कभी भी कानून के अनुसार सेवित नहीं किया गया और उसे दिनांक 31. 8 .2017 के आदेश अनुसार उधोषित व्यक्ति अवैध रूप से घोषित किया गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट करनाल ने पुलिस को इस बारे केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे और उक्त आदेश के अनुपालन में वर्तमान एफआईआर दर्ज की गई है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त कार्यवाही के बारे में जानने पर, याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष पेश हुआ और शिकायतकर्ता से उपस्थित होने और राशि प्राप्त करने का अनुरोध किया जैसा कि दिनांक 16. 3 .2020(अनुलग्नक पी-4) से स्पष्ट है और उसी के अनुसरण में, मामले से समझौता किया गया था और शिकायतकर्ता ने 17.03.2020 पर पेश हुआ और बयान दिया कि उसे चेक राशि के साथ-साथ ब्याज और लागत राशि भी मिली है और वह शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और तदनुसार, धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत शिकायत वापस ले ली गई थी।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत शिकायत वापस ले ली गई है, तो भा.दं.सं. सी. की धारा 174-ए के तहत वर्तमान प्राथमिकी आर. को रद्द किया जाना चाहिए।

(3) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने वर्तमान याचिका का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान एफआईआर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल द्वारा दिनांक 31.08.2017 पर पारित आदेश के अनुसरण में दर्ज की गई है और इस प्रकार, वर्तमान याचिका खारिज की जानी चाहिए।

(4) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और पेपर बुक का अध्ययन किया है।

(5) सी. आर. एम.-एम.-43813-2018 में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने बलदेव चंद बंसल बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य, **दिनांक** 29.01.2019 पर निर्णय निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः-।

> "इस याचिका में पुलिस स्टेशन सेक्टर-5, पंचकूला में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 64 दिनांक 15.02.2017 और उसके बाद की अन्य सभी कार्यवाही के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया था।
>
> XXX XXX XXX
>
> याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विकास शर्मा बनाम गुरप्रीत सिंह कोहली और अन्य (सुप्रा), 2017, (3) L.A.R.584, माइक्रोक्वाल टेक्नो लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य, 2015 (32) आरसीआर (क्रिमिनल) 790 और "रजनीश खन्ना बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य "2017 (3) एल. ए. आर. 555 जिसमें एक समान परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि चूंकि अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर मुख्य याचिका पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौते को देखते हुए वापस ले ली गई है, इसलिए भा.दं.सं. सी. की धारा 174 ए के तहत कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा।
>
> XXX XXX XXX
>
> उसी को ध्यान में रखते हुए, मुझे वर्तमान याचिका में योग्यता मिलती है और तदनुसार, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पंचकूला द्वारा पारित दिनांक 24.10.2016 के साथ-साथ पुलिस स्टेशन सेक्टर-5, पंचकूला में भारतीय प्राथमिकी की धारा 174-ए के तहत दर्ज एफआईआर नम्बर 64 दिनांक 15.02.2017 और उसके बाद की अन्य सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।"

(6) उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि इसी तरह के मामले में जहां अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही में पारित आदेश को देखते हुए भा.दं.सं. की धारा 174-ए के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को उधोषित व्यक्ति घोषित किया गया था, एक समन्वित पीठ ने विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करने के बाद कहा कि एक बार जब पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते को देखते हुए अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य याचिका वापस ले ली जाती है, तो भा.दं.सं. की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।उक्त पहलू याचिका को अनुमति देने और उसम

याचिकाकर्ता को उधोषित व्यक्ति घोषित करने के साथ-साथ भा.दं.सं. सी. की धारा 174-ए के तहत प्राथमिकी प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के आदेश मुख्य विचारों में से एक था।

(7) इस न्यायालय की एक और समन्वय पीठ अशोक मदन बनाम हरियाणा राज्य और अन्य ने भी इसके अंतर्गत माना है कि-:-

> "निस्संदेह, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि धारा 174 ए आई. पी. सी. के तहत अपराध मुख्य मामले से स्वतंत्र है, इसलिए, केवल इसलिए कि मुख्य मामले को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया है, वर्तमान याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है, हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल मुख्य मामले की कार्यवाही से अनुपस्थिति के कारण दर्ज की गई थी, जिसे बाद में अदालत द्वारा याचिकाकर्ता को जमानत वहदेते समय नियमित कर दिया गया था, डिफाल्ट को माफ कर दिया गया था।ऐसी परिस्थितियों में आई. पी. सी. की धारा 174 ए के तहत कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
>
> 7. तदनुसार, याचिका को स्वीकार की जाती है।फरीदाबाद जिले के पुलिस स्टेशन कोटवाली में धारा 174 ए आई. पी. सी. के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट. No.446 दिनांक 21.08.2017 के साथ-साथ परिणामी कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी।"

(8) उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण के अवलोकन से पता चलेगा कि जहां मुख्य मामले को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था, यह देखा गया कि भा.दं.सं. सी. की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

(9) अमर सिंह ने वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ खंड 138/142 N. I. अधिनियम के तहत मु. 25,000/- के चेक के अनादरन के संबंध में शिकायत दर्ज की थी और उक्त कार्यवाही में, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि वह कभी सेवित नहीं हुआ और दिनांक 31.08.2017 (अनुलग्नक पी-3) के आदेश के माध्यम से अवैध रूप से उधोषित व्यक्ति घोषित किया गया था जिसमें एक पप्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया था और उक्त आदेश के अनुसरण में, वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई है। आदेश दिनांक 16.03.2020 से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही में निचली अदालत के समक्ष पेश हुआ और अनुरोध किया कि शिकायतकर्ता को पैसे प्राप्त करने का निर्देश दिया जाए और उसके बाद 17.03.2020 पर शिकायतकर्ता पेश हुआ और बयान दिया कि उसे चेक राशि के साथ-साथ ब्याज और लागत राशि भी मिली है और वह धारा 138 N.I.Act के तहत शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और तदनुसार, शिकायत को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था।एक बार जब

धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही वापस ले ली जाती है, तो भा.दं.सं. सी. की खंड 174-ए के तहत वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट भी रद्द की जानी चाहिए।

(10) उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका की अनुमति है और प्रथम सूचना रिपोर्ट नं.86 दिनांक 14.03 .2020 हरियाणा के मधुबन करनाल पुलिस स्टेशन में भा.दं.सं. सी. की धारा 174-ए के तहत दर्ज और उससे उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

(11) प्रतिवादी नं. 2 अमर सिंह को नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है, जो धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत दायर शिकायत में शिकायतकर्ता है, क्योंकि वह एक आवश्यक पक्ष नहीं है क्योंकि वह भा.दं.सं. सी. की खंड 174-ए के तहत वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता नहीं है, जिसे रद्द करने की मांग की गई है और किसी भी तरह से, जैसा कि दिनांक 17.03.2020 से स्पष्ट है, उक्त शिकायतकर्ता धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही में पेश हुआ था और उसने Rs.25,000/- की चेक राशि और Rs.15,000/- की ब्याज और लागत राशि प्राप्त करने के बाद शिकायत वापस ले ली थी, इस प्रकार, उसे नोटिस जारी करने के परिणामस्वरूप केवल वर्तमान मामले में उपस्थित होने के लिए एक वकील को शामिल करने में कानूनी खर्च होगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित योग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा

रूपेश कुमार ट्रांसलेटर कोर्ट आफ डॉ. नंदिता कौशिक एडिशनल प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जगाधरी